बिहार विधान-सभा वादवृत्त।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में शुक्रवार, तिथि ६ जून, १९५८ को ११ बजे पूर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष, श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ।

अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर।

Short Notice Question and Answer.

DISTRIBUTION OF RICE.

201 and 202. **Shri T. P. BAKSHI** and **Shri MOTI RAM** : Will the Minister in charge Revenue Department be pleased to state—

(1) the quantity of rice supplied to the authorities in Hazaribagh district for distribution under the relief scheme ;

(2) whether the authorities have actually distributed the rice in question to the consumers ?

श्री राधा गोबिन्द प्रसाद—(१) और (२) हजारीबाग जिले में चावल का स्टाक पर्याप्त नहीं हुआ था, अतः उसके वितरण का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री तारा प्रसाद बक्सी—क्या सरकार के पास कोई ऐसी स्कीम है जिससे चावल का डिस्ट्रिब्युशन वहां हो ?

श्री राधा गोबिन्द प्रसाद—चावल डिसपैच हो चुका है, अभी पहुंचा नहीं है।

श्री तारा प्रसाद बक्सी—कब तक पहुंचेगा ?

श्री राधा गोबिन्द प्रसाद—यह तो रेल वगैरह की सुविधा पर है।

श्री तारा प्रसाद बक्सी—एक अन्दाज बताया जा सकता है ?

श्री राधा गोबिन्द प्रसाद—मैं समझता हूं कि बहुत जल्द चावल पहुंच जायगा क्योंकि डिसपैच हो चुका है।

श्री तारा प्रसाद बक्सी—चावल कितना मिलेगा ?

श्री राधा गोबिन्द प्रसाद—चावल जो दिया गया है वह इस प्रकार है :—

	मन।
हजारीबाग रोड	३,०००
रांची रोड	३,०००
कोडरमा	२,०००
गोमिया	१,०००
गिरीडीह	४,०००
बर्मो	२,४००

इसके अतिरिक्त चतरा के मजिस्ट्रेट को कोडरमा के लिये और ४,४०० मन चावल दिया गया है।

श्री तारा प्रसाद बक्सी—क्या सरकार को मालूम है कि इतना चावल उस एरिया के लिये काफी नहीं है?

श्री राधा गोबिन्द प्रसाद—जो स्टाक है उसके हिसाब से दिया गया है।

*श्री मोती राम—जो चावल हजारीबाग जिले में भेजा जा रहा है, उसमें से लेबर एरिया में भी देने का कुछ प्रोविजन है या नहीं?

*श्री बीरचन्द पटेल—इसका जवाब मैं देता हूं। जहां तक चावल के वितरण का प्रश्न है, हमलोगों के बहुत प्रयत्न करने के बाद भारत सरकार ने कुछ चावल देने का वादा किया है और उस चावल को हमलोग लेबर एरिया और आदिवासी क्षेत्रों में ही बांटने के लिये सीमित रखा है। जितना चावल है वह उनके लिये पर्याप्त नहीं है लेकिन जो कुछ भी होगा वह आदिवासियों को और इंडस्ट्रीयल एरिया के मजदूरों में बांटा जायगा।

श्री मोती राम—क्या वह चावल हरिजनों के बीच भी बांटा जायगा?

*श्री बीरचन्द पटेल—लेबर एरिया में हरिजन रहेंगे तो उनको भी चावल मिलेगा। आज चावल की बहुत कमी है और बहुत मुश्किल से कुछ चावल हमलोग भारत सरकार से पा सके हैं क्योंकि उनके पास भी चावल नहीं है। सारी बातों का ख्याल रखकर चावल को मजदूर क्षेत्रों में तथा आदिवासी क्षेत्रों में दिया जायगा।

श्री मोती राम—क्या यह बात सही है कि जो चावल आनेवाला है वह टूटा हुआ है?

श्री बीरचन्द पटेल—चावल आने पर उसका नमूना माननीय सदस्य को लिफाफे में बन्द करके भेज दिया जायगा।

*श्री मनिलाल यादव—हजारीबाग चावल कब तक पहुंचेगा ?

श्री वीरचन्द पटेल—चावल जल्द पहुंच जायगा लेकिन बंटने की निश्चित तिथि नहीं बतायी जा सकती है।

श्री डुमर लाल बैठा—क्या सरकार अभी पूर्णिया जिले में चावल भेजने का कुछ प्रबंध करना चाहती है क्योंकि वह राइस इटिंग एरिया है और वहां बहुत से हरिजन तथा मजदूर रहते हैं ?

अध्यक्ष—प्रश्न पूर्णिया जिले के बारे में नहीं है।

तारांकित प्रश्नोत्तर।

Starred Questions and Answers.

शाहपुर थाने में मालगुजारी की माफी।

८३१। श्री रामानन्द तिवारी—क्या मंत्री, राजस्व विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि शाहपुर थाना, जिला शाहाबाद के अन्तर्गत नदी के तट पर इस साल खासकर ग्राम बिलौटी, जमुआ, खरौनी, शाहुडीह, गंजपर आदि गांवों में सुखाड़ के कारण १,००० बीघा जमीन एकदम परती रह गई ;

(२) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त जमीन की मालगुजारी सरकार ने इस साल छोड़ दी है ?

श्री राधा गोबिन्द प्रसाद—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

प्रत्येक गांव में प्रायः १०० बीघा जमीन रब्बी के मौसम में पानी के अभाव के कारण परती पड़ गई।

(२) उत्तर नकारात्मक है। मालगुजारी माफ करने के विषय में कतिपय रूल्स बनाये गये हैं, जिसके अनुसार समाहर्त्ताओं को अपने क्षेत्राधिकार में ५,००० तथा आयुक्त को अपने क्षेत्राधिकार में २०,००० रु० तक मालगुजारी माफ करने का अधिकार है। इस संबंध में सरकार ने आदेश दे रखा है कि उन इलाकों में जहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं है तथा जहां धान की फसल की बर्बादी हो गयी है :—

यदि (१) वहां केवल धान की फसल होती हो,

(२) धान के अतिरिक्त किसी और फसल होती हो, तो १ वर्ष तथा ६ महीने तक मालगुजारी वसूल करने के लिये नये सार्टिफिकेट नहीं दायर किये जायें।